

अज अदालत.....मुकाम.....
 आतेन्द्र सिंह.....बनाम.....रवि कुमार.....
 किसम मुकदमा.....225.....नं० ०5 सन्.....2023.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
11.01.23	<p>वकील अपीलाण्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलाण्ट ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना की। सुना गया।</p> <p>वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 03.08.2022 को एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया एवं मुकदमें में सुनवाई की आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.09.2022 नियत कर दी, जो कि कानूनी प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानों के अनुसार 30 दिन के अंदर एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निर्णित करना चाहिए था। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी/रैस्पो विवादित आराजी का खातेदार काशतकार भी नहीं है, एवं ना ही उसका विवादित आराजी में कोई कब्जा काशत है। जबकि अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी, जो कि संयुक्त खातेदारी की है, में खातेदार है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आर०आर०टी० 2014(1) पेज 409, आर०आर०टी० 2019(2) पेज 777 एवं आरबीजे(5) 1998 पेज 490 का उद्धरण पेश करते हुये, प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को खारिज करने का निवेदन किया।</p> <p>हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है एवं नियमानुसार अन्तरिम आदेश की अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं होती है। वकील अपीलाण्ट, प्रस्तुत न्यायिक नजीर आर०आर०टी० 2014(1) पेज 409 में प्रतिपादित सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में अपील संधारणीय बताते हैं। हमने प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान न्यायिक मस्तिष्क से अध्ययन किया।</p> <p>न्यायिक व्यवस्था का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक न्यायालय को अपने से उच्चतर न्यायालय के निर्णय का सम्मान तथा पालन करना चाहिये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03.08.2022 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अग्रिम पेशी दिनांक 15.09.2022 निर्धारित की गयी है। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा 17.10.2022 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण को आदिनांक तक अन्तिम तौर पर निस्तारित नहीं किया जाकर केवल तारीख पेशीयों निर्धारित की जा रही है। जिसे न्याय की दृष्टि से विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उपरोक्त तथ्यों एवं न्यायिक दृष्टान्त की पृष्ठभूमि में, हम अपील अपीलाण्ट संधारणीय योग्य पाते हैं। अतः अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।</p> <p>SUBJECT TO LIMITATION दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>गुणावगुण पर हम पाते हैं कि अपील पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत् 2069-72 में प्रार्थी/रैस्पो विवादित आराजी पर खातेदार नहीं है। जबकि अप्रार्थी/अपीलाण्ट विवादित आराजी में सहखातेदार काशतकार के रूप में दर्ज है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय</p>	

ने एक खातेदार के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भूल की की है। अतः हम अपील अपीलाण्ट, ग्राह्यता स्तर पर ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, अपने समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानों के अनुसार, पक्षकारान के न्यायालय में उपस्थित होने की तिथी से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। तब तक अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2022 स्थगित किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(परशुराम धानका)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर